

RTAL 1980 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी

नवीन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज	पुराने अनुज्ञा पत्र में दर्ज कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज
<p>1. प्रारूप "क" (Form A) में आवेदन जो निम्न वेबसाईट www.chittorgarh.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।</p> <p>2. प्रतिभूति राशि 1000/- रुपये एवं लाईसेंस फीस 500/- रुपये जो कि चालान द्वारा बैंक में जमा की जा सकेगी। (थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता हेतु)</p> <p>3. पहचान के दस्तावेज एवं स्थानीय निवासी होने के दस्तावेज (भागीदार होने की स्थिति में प्रत्येक भागीदार के पृथक-पृथक दस्तावेज)</p> <p>4. टिन नंबर सर्टिफिकेट</p> <p>5. व्यापार स्थल एवं गोदाम के नक्शे का ब्लू प्रिन्ट 3 प्रतियों में।</p> <p>6. प्रोपराईटर/भागीदारों के दो नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ।</p>	<p>1. एक बारीय एवं तेल तिलहन दर्ज कराने हेतु सामान्य पेपर पर आवेदन पत्र।</p> <p>2. तेल तिलहन के विक्रय एवं भण्डारण हेतु काम में लिये जाने वाले व्यापार एवं गोदाम स्थल के नक्शे का ब्लू प्रिन्ट।</p> <p>3. प्रतिभूति राशि 1000/- रुपये तथा लाईसेंस फीस 500/- रुपये जमा होने के चालान की प्रति यदि प्रति उपलब्ध नहीं है तो उक्त राशि पुनः जमा कराने होगी।</p> <p>4. स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जाना होगा।</p> <p>5. मासिक मानचित्र प्रस्तुत करना एवं मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन करना।</p>

नोट :-

1. उक्त दोनों कार्यवाही हेतु आवेदन कहां करना है :-
 - (1) जिला मुख्यालय की नगरपालिका एवं तहसील क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के लिये जिला रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ में आवेदन किया जा सकेगा।
 - (2) जिला मुख्यालय से अन्य नगरपालिकाओं एवं तहसील क्षेत्रों के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा।
2. स्टॉक लिमिट की विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट food.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

जिला रसद अधिकारी,
चित्तौड़गढ़